वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित।

पत्रांक–7/पद सृजन–15–4/2014 सा0प्र0......................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– **अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के एक–एक पद सहित कुल चार पदों का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र संख्या–2071 दिनांक 30.10.2013 द्वारा अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के एक–एक पद सहित कुल चार पदों के सृजन की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070 में संलग्न व्यय विवरणी के अनुसार रु0 52,26,672/–(बावन लाख छब्बीस हजार छः सौ बहत्तर) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से एक–एक पद सहित कुल चार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त पदों का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लधु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–4/2014 सा0प्र0...9668.../पटना–15, दिनांक..15.7.14

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2014 के मद संख्या–05 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–4/2014सा0प्र0

अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के एक–एक पद सहित कुल चार पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक व्यय की विवरणीः–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक वेतन	मं0 भत्ता@ 90 %	कुल वार्षिक व्यय (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि)	04	51550–1230–58930–1380–63070	57310/–	27,50,880/–	24,75,792/–	52,26,672/–
	कुल	04				योग	52,26,672/–

कुल वार्षिक व्यय का योग –52,26,672/–(बावन लाख छब्बीस हजार छः सौ बहत्तर) रूपये मात्र।

नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

15/7/14

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।